न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

प्रार्थी
चंदराम पुत्र गोरखाराम
ते विश्नोई निवासी राजीव नगर (बरजासर)
सील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण
1. लादूराम पुत्र भेराराम
2. बाबुराम पुत्र भेराराम
3. किरताराम पुत्र भेराराम
   सभी जाति विश्नोई निवासी
   राजीव नगर (बरजासर)
   तहसील फलोदी जिला
   जोधपुर (राज.)
4. शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी.
   बैंक शाखा फलोदी
5. तहसीलदार फलोदी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2467 /2019

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस.पातावत एवं के.एस.राठौड
3. अप्रार्थी सख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक :–

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है सरहद मौजा राजीव नगर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 323/1 रकबा 10.02 बीघा किस्म बी–4 स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांक, पशुओं के लिये बाड़ा इत्यादि बना रखे है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि के चिपती दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 14.11 बीघा भूमि आई हुई है तथा खसरा नम्बर 323 के चिपता चिपत उतरी दिशा में डामर सड़क नागौर फलोदी स्टेट हाईवें से सारण विश्नोईयों की ढाणीयां तक चलती है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 323/1 की भूमि एवं उसमे बनी रहवासीय ढाणीयों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के खसरा नम्बर 323 उतरी पूर्वी कणे कणे चल रहे रास्ता से आना जाना पड़ता है तथा प्रार्थी की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के उक्त खसरान् की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जाता था लेकिन अब अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व उपयोग में लिया जा रहा रास्ता पक्की दीवार बना कर बंद कर दिया है। वर्तमान में प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में बनी अपनी रहवासीय ढाणी टांके व पशुओं के आगमन के लिये प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खसरा नम्बर 323 की भूमि में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए.बी.सी.डी. के रूप में विद्यमान 15 फुट चौड़ा रास्ता का उपयोग कर अपनी जोत तक पहुंचते आये है। यह रास्ता प्रार्थी व उसके पूर्वजों द्वारा उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है। आज रोज तक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. तक के रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं किया लेकिन अभी दिनांक 10.04.2018 को प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य मनमुटाव होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व उनके परिवार वालों ने प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों उक्त रास्ता से आगमन से मना कर उक्त रास्ता की भूमि पर पक्की दीवार कर निर्माण करवाकर उक्त रास्ता को स्थाई रुप से बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी एंव उसके परिवार के सदस्य अपनी ढाणी में नजरबंद हो गये है तथा उनको अपनी ढाणी व खेत में आने जाने में, खेत में ट्रैक्टर वगेरा लाने ले

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

ाने में, पानी का टेंकर वगैरा मंगवाने में बीमार हो जाने पर अस्पताल वगैरा जाने में और बच्चों को कूल जाने में भंयकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता खोलने का निवेदन करने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि अन्यंत्र नया रास्ता बना लो वरना हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती मारपीट करेंगे। प्रार्थी नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए.बी. सी.डी. की भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप दर्ज करवाने का अधिकारी है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की रास्ता के रूप में निर्वापित की जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा नियत प्रतिकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को प्रदान करने को तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता आर.एस.पातावत ने वकालतनामा मय जवाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में गलत एंव मिथ्या कथन अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 323 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है और न ही कोई रास्ता के आलामात ही है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 323 में से किसी प्रकार का रास्ता चलता ही नहीं है तो उसको बंद करने के कथन सरासर गलत एंव मिथ्या है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 323 में से न तो पूर्व में चलता था और न ही आज दिन तक चलता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार फलोदी द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 323 में से 230 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल 3450 वर्गफीट (0.04 बिस्वा) भूमि प्रस्तावित रास्ते के उक्त खसर से ली जाकर प्रार्थी को गुणावगुण के आधार पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहहिस्सेदारान् की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम राजीव नगर पटवार क्षेत्र भीयासर तहसील फलोदी में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 323/1 रकबा 10.02 बीघा के रूप में आई हुई है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 323/1 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 323 रकबा 14.11 बीघा की स्थित है तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 323 रकबा 14.11 बीघा भूमि के उतरी दिशा में डामर सड़क नागौर फलोदी स्टेट हाईवे से सारण विश्नोईयों की ढाणीया तक चलता है प्रार्थी के खसरा नम्बर 323/1 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणीयों में आने जाने एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 323/1 की भूमि में से होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार कदीमी रास्ता चलता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को उक्त कटाण मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य कोई नजदीक में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से साबित है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में गलत एंव मिथ्या कथन अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 323 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है और न ही कोई रास्ता के आलामात ही है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 323 में से किसी प्रकार का रास्ता चलता ही नहीं है तो उसको बंद करने के कथन सरासर गलत एंव मिथ्या है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 323 में से न तो पूर्व में चलता था और न ही आज दिन तक चलता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी सख्या 5 ने पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गुणावगुण के आधार पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया।

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 323/1 की भूमि ग्राम राजीव नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 323 रकबा 14.11 बीघा में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। जो तहसीलदार फलोदी एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया कर ग्राम राजीव नगर पटवार क्षेत्र भींयासर तहसील फलोदी में स्थित प्रार्थी के खातेदारी एवं ब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 323/1 रकबा 10.02 बीघा भूमि तक पहुंचने के लिये र्धारित प्रतिकर के संदाय पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 323 रकबा 14.11 बीघा से 230 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल 3450 वर्गफीट (0.04 बिस्वा) भूमि तहसीलदार लोदी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द नजरी नक्शा अनुसार भूमि रास्ता के उपयोग हेतु प्रार्थी को अनुज्ञात क्या जाता है। उक्त जमीन की डी.एल.सी. दर 31,860/- रूपये प्रति बीघा है, रास्ते के उपयोग में ा रही भूमि का रकबा 0.04 बीघा है जिसकी से दूगनी दर से राशि 12,744/- रूपये प्रतिकर के रूप में प्रार्थी तहसील कार्यालय फलोदी में जमा करवायेंगा। तहसीलदार फलोदी प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि का भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को करवाकर राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 23 रकबा 14.11 बीघा में से 230 फीट लम्बा गुणा 15 फीट चौड़ा कुल 3450 वर्गफीट (0.04 बिस्वा) भूमि की रास्ता की तरमीम कर रास्ता प्रार्थी को दिलावे। तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक .... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner